निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 श्रावण 1947 (श0)

(सं0 पटना 1377) पटना, बुधवार, 13 अगस्त 2025

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

3 जुलाई 2025

सं० 1*स्था०-31/2025-1626/वि०स०*—बिहार विधान सभा (भरती और सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2018 के नियम–14 के अधीन अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, सभा सचिवालय में **समूह–क** के अंतर्गत **प्रतिवेदक संवर्ग के वरीय प्रतिवेदक के पद पर** प्रोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं विषय आदि के विनियम के संबंध में निम्नलिखित आदेश विनिर्दिष्ट करते हैं :–

बिहार विधान सभा सचिवालय (विभागीय परीक्षा की पद्धतियाँ) आदेश, 2025

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - यह आदेश बिहार विधान सभा सचिवालय (विभागीय परीक्षा की पद्धतियाँ) आदेश, 2025 कहा जा सकेगा ।
2. यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।
3. बिहार विधान सभा सचिवालय में समूह 'क' के अंतर्गत प्रतिवेदक संवर्ग के वरीय प्रतिवेदक के पद पर प्रोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं विषय वहीं होगी जो नीचे वर्णित है :-

प्रथम पत्र - हिन्दी लिखित एवं बिहार विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली ।

द्वितीय पत्र - कम्प्यूटर की व्यवहारिक जानकारी ।

तृतीय पत्र - आशुलेखन एवं टंकण ।

प्रत्येक पत्र का पूर्णांक 100 (एक सौ) अंकों का होगा तथा उत्तीर्णांक 40 (चालीस) अंकों का होगा । परंतु अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति उम्मीदवार के लिए उत्तीर्णांक 30 अंकों का होगा । प्रतिवेदक संवर्ग में टंकण एवं आशुलेखन की जो दक्षता नियुक्ति के समय अपनाई गयी है वही दक्षता विभागीय परीक्षा में भी होगी । उपर्युक्त विषय की परीक्षा (अनुवादन, आशुलेखन एवं टंकण को छोड़कर) का प्रश्न कोष वस्तुनिष्ठ (Objective) रूप में होगा।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,

ख्याति सिंह,

प्रभारी सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1377-571+25-डी0टी0पी0

Website: : https://egazette.bihar.gov.in